



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082026-275068
CG-DL-E-01082026-275068

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4038]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2026/श्रावण 7, 1948

No. 4038]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2026/SHRAVAN 7, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2026

का.आ. 4208(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में NH716B के कि.मी. 61+380 से कि.मी.96+040 (आरूडीओ औफस चित्तूर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रैभनू डिभिशनल् औफसर् को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले में NH716B के कि.मी. 61+380 से कि.मी.96+040 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: चित्तूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पिचतूर					
गांव का नाम: करुर @ कृष्णागिरी					
1	144/10	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	364.23 (वर्ग मीटर)	0.036423
2	144/12	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	40.47 (वर्ग मीटर)	0.004047
3	144/9	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	1456.92 (वर्ग मीटर)	0.145692
4	145/8	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (ग्रामकंतम)	1578.33 (वर्ग मीटर)	0.157833
5	149/1	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	1335.51 (वर्ग मीटर)	0.133551
6	149/10	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	364.23 (वर्ग मीटर)	0.036423
7	149/2	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	445.17 (वर्ग मीटर)	0.044517
8	149/20	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	1133.16 (वर्ग मीटर)	0.113316
9	149/21	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	323.76 (वर्ग मीटर)	0.032376
10	149/24	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	323.76 (वर्ग मीटर)	0.032376
11	149/25	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	242.82 (वर्ग मीटर)	0.024282
12	149/3	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	364.23 (वर्ग मीटर)	0.036423
13	149/7	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	242.82 (वर्ग मीटर)	0.024282
14	150/1	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	161.88 (वर्ग मीटर)	0.016188
15	152/2	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (एडबल्यूडी)	647.52 (वर्ग मीटर)	0.064752
16	152/3	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (एडबल्यूडी)	3116.19 (वर्ग मीटर)	0.311619
17	153/1	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (एडबल्यूडी)	2144.91 (वर्ग मीटर)	0.214491
18	153/2	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	890.34 (वर्ग मीटर)	0.089034

19	153/3	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	404.7 (वर्ग मीटर)	0.04047
20	153/5	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	1011.75 (वर्ग मीटर)	0.101175
21	153/7	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	1537.86 (वर्ग मीटर)	0.153786
22	154/11	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	3035.25 (वर्ग मीटर)	0.303525
23	154/3	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	202.35 (वर्ग मीटर)	0.020235
24	157/10	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	80.94 (वर्ग मीटर)	0.008094
25	157/11	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	80.94 (वर्ग मीटर)	0.008094
26	157/13	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	80.94 (वर्ग मीटर)	0.008094
27	157/14	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	768.93 (वर्ग मीटर)	0.076893
28	157/16A	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	485.64 (वर्ग मीटर)	0.048564
29	157/17A	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	404.7 (वर्ग मीटर)	0.04047
30	157/18A	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	121.41 (वर्ग मीटर)	0.012141
31	157/3A	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	161.88 (वर्ग मीटर)	0.016188
32	157/4A	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	526.11 (वर्ग मीटर)	0.052611
33	157/6A	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	121.41 (वर्ग मीटर)	0.012141
34	157/8A	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	404.7 (वर्ग मीटर)	0.04047
35	157/9	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	404.7 (वर्ग मीटर)	0.04047
36	158/1B	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	2630.55 (वर्ग मीटर)	0.263055
37	158/3	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (एडबल्यूडी)	283.29 (वर्ग मीटर)	0.028329
38	158/4	निजी	एग्रीकल्चर (डीकेटी-डीआर्वाइ)	40.47 (वर्ग मीटर)	0.004047
39	69/2C	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	2509.14 (वर्ग मीटर)	0.250914
40	69/3B	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	1254.57 (वर्ग मीटर)	0.125457
41	70/2	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	1173.63 (वर्ग मीटर)	0.117363
42	78/10	निजी	एग्रीकल्चर (डीआर्वाइ)	80.94 (वर्ग मीटर)	0.008094
43	78/19A	निजी	एग्रीकल्चर (डबल्यूईटी)	202.35 (वर्ग मीटर)	0.020235
44	80/2	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (कलुवा)	809.4 (वर्ग मीटर)	0.08094
45	81/1	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चर (कलुवा)	930.81 (वर्ग मीटर)	0.093081
Total					3.492561

[फा. सं. NHAI/18011/253/2018/PIU-Chennai/dt 28-03-2018/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2026

S.O. 4208(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH716B in the stretch of land from Km. 61.38 to Km. 96.04 (RDO office Chittoor) in the district of Chittoor in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 61+380 to Km. 96+040 of National Highways No- 716B Chittoor- Thatchur Road in the district of Chittoor in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: Chittoor		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pichatur					
Village: Karuru @ Krishnagiri					
1	144/10	Private	Agriculture (DRY)	364.23 (Square Meter)	0.036423
2	144/12	Private	Agriculture (DRY)	40.47 (Square Meter)	0.004047
3	144/9	Private	Agriculture (DRY)	1456.92 (Square Meter)	0.145692
4	145/8	Government	Non Agriculture (Gramakantam)	1578.33 (Square Meter)	0.157833
5	149/1	Private	Agriculture (DKT-DRY)	1335.51 (Square Meter)	0.133551
6	149/10	Private	Agriculture (DKT-DRY)	364.23 (Square Meter)	0.036423
7	149/2	Private	Agriculture (DKT-DRY)	445.17 (Square Meter)	0.044517
8	149/20	Private	Agriculture (DKT-DRY)	1133.16 (Square Meter)	0.113316
9	149/21	Private	Agriculture (DKT-DRY)	323.76 (Square Meter)	0.032376
10	149/24	Private	Agriculture (DKT-DRY)	323.76 (Square Meter)	0.032376
11	149/25	Private	Agriculture (DKT-DRY)	242.82 (Square Meter)	0.024282
12	149/3	Private	Agriculture (DKT-DRY)	364.23 (Square Meter)	0.036423
13	149/7	Private	Agriculture (DKT-DRY)	242.82 (Square Meter)	0.024282
14	150/1	Private	Agriculture (DKT-DRY)	161.88 (Square Meter)	0.016188
15	152/2	Government	Non Agriculture (AWD)	647.52 (Square Meter)	0.064752
16	152/3	Government	Non Agriculture (AWD)	3116.19 (Square Meter)	0.311619

17	153/1	Government	Non Agriculture (AWD)	2144.91 (Square Meter)	0.214491
18	153/2	Private	Agriculture (DKT-DRY)	890.34 (Square Meter)	0.089034
19	153/3	Private	Agriculture (DKT-DRY)	404.7 (Square Meter)	0.04047
20	153/5	Private	Agriculture (DKT-DRY)	1011.75 (Square Meter)	0.101175
21	153/7	Private	Agriculture (DKT-DRY)	1537.86 (Square Meter)	0.153786
22	154/11	Private	Agriculture (DKT-DRY)	3035.25 (Square Meter)	0.303525
23	154/3	Private	Agriculture (DRY)	202.35 (Square Meter)	0.020235
24	157/10	Private	Agriculture (DRY)	80.94 (Square Meter)	0.008094
25	157/11	Private	Agriculture (DRY)	80.94 (Square Meter)	0.008094
26	157/13	Private	Agriculture (DRY)	80.94 (Square Meter)	0.008094
27	157/14	Private	Agriculture (DRY)	768.93 (Square Meter)	0.076893
28	157/16A	Private	Agriculture (DRY)	485.64 (Square Meter)	0.048564
29	157/17A	Private	Agriculture (DRY)	404.7 (Square Meter)	0.04047
30	157/18A	Private	Agriculture (DRY)	121.41 (Square Meter)	0.012141
31	157/3A	Private	Agriculture (DRY)	161.88 (Square Meter)	0.016188
32	157/4A	Private	Agriculture (DRY)	526.11 (Square Meter)	0.052611
33	157/6A	Private	Agriculture (DRY)	121.41 (Square Meter)	0.012141
34	157/8A	Private	Agriculture (DRY)	404.7 (Square Meter)	0.04047
35	157/9	Private	Agriculture (DRY)	404.7 (Square Meter)	0.04047
36	158/1B	Private	Agriculture (DRY)	2630.55 (Square Meter)	0.263055
37	158/3	Government	Non Agriculture (AWD)	283.29 (Square Meter)	0.028329
38	158/4	Private	Agriculture (DKT-DRY)	40.47 (Square Meter)	0.004047
39	69/2C	Private	Agriculture (DRY)	2509.14 (Square Meter)	0.250914
40	69/3B	Private	Agriculture (DRY)	1254.57 (Square Meter)	0.125457
41	70/2	Private	Agriculture (DRY)	1173.63 (Square Meter)	0.117363
42	78/10	Private	Agriculture (DRY)	80.94 (Square Meter)	0.008094
43	78/19A	Private	Agriculture (WET)	202.35 (Square Meter)	0.020235
44	80/2	Government	Non Agriculture (KALUVA)	809.4 (Square Meter)	0.08094
45	81/1	Government	Non Agriculture (KALUVA)	930.81 (Square Meter)	0.093081
Total					3.492561

[F. No. NHAI/18011/253/2018/PIU-Chennai/dt 28-03-2018/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director